

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारी:- शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बर:-82/2019

देवकरण सिंह उर्फ सुरेन्द्र पुत्र खंगाराम जाति जाट निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

-अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू-राजस्व अधिनियम
निर्णय

निर्णय दिनांक 03.02.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कबीरसर तहसील मलसीसर की सरहद में खात संख्या 33 के भूमि ख.न. 118 रकबा 0.0800 है, ख.न. 120 रकबा 0.0500 है, ख.न. 121 रकबा 0.6500 है, ख.न. 122 रकबा 0.2300 है, ख.न. 123 रकबा 0.0400 है, ख.न. 124 रकबा 1.4400 है, ख.न. 125 रकबा 0.2500 है, ख.न. 201/330 रकबा 0.9000 है, ख.न. 244 रकबा 2.5700 है, ख.न. 245 रकबा 1.9600 है, ख.न. 246 रकबा 0.5500 है, ख.न. 247 रकबा 0.5900 है, ख.न. 248 रकबा 3.3200 है, ख.न. 249 रकबा 0.5500 है, ख.न. 250 रकबा 0.4600 है, ख.न. 252 रकबा 1.2100 है, ख.न. 302/329 रकबा 1.1400 है, ख.न. 359/252 रकबा 0.0500 है कुल किता 18 कुल रकबा 16.0400 है अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी भूमि रही है। जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का नाम सहवान से देवकरण पुत्र खंगाराम के बजाय सुरेन्द्र पुत्र खंगा दर्ज हो गया। इसी तरह प्रार्थी के भाई व माता के नाम में भी पिता व पति का नाम खंगाराम के बजाए खंगा दर्ज है। इस अशुद्धी को दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में स्वयं का प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, बीएसएफ पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक, पेन कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि देवकरण पुत्र खंगाराम, जयपाल पुत्र खंगाराम व पतासी पत्नि खंगाराम दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सुरेन्द्र पुत्र खंगा, जयपाल पुत्र खंगा व पतासी पत्नि खंगा के स्थान पर देवकरण उर्फ सुरेन्द्र पुत्र खंगाराम, जयपाल पुत्र खंगाराम व पतासी पत्नि खंगाराम किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम कबीरसर तहसील मलसीसर की सरहद में खात संख्या 33 के भूमि ख.न. 118 रकबा 0.0800 है, ख.न. 120 रकबा 0.0500 है, ख.न. 121 रकबा 0.6500 है, ख.न. 122 रकबा 0.2300 है, ख.न. 123 रकबा 0.0400 है, ख.न. 124 रकबा 1.4400 है, ख.न. 125 रकबा 0.2500 है, ख.न.



201/330 रकबा 0.9000 है0, ख.न. 244 रकबा 2.5700 है0, ख.न. 245 रकबा 1.9600 है0, ख.न. 246 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 247 रकबा 0.5900 है0, ख.न. 248 रकबा 3.3200 है0, ख.न. 249 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 250 रकबा 0.4600 है0, ख.न. 252 रकबा 1.2100 है0, ख.न. 302/329 रकबा 1.1400 है0, ख.न. 359/252 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 16.0400 है0 देवकरण पुत्र खांगाराम, जयपाल पुत्र खांगाराम व पतासी पत्नि खांगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से देवकरण पुत्र खांगाराम, जयपाल पुत्र खांगाराम व पतासी पत्नि खांगाराम के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र खांगा, जयपाल पुत्र खांगा व पतासी पत्नि खांगा दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में स्वयं का प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, बीएसएफ पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक, पेन कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्रपेश किया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरुस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कबीरसर तहसील मलसीसर की सरहद में खात संख्या 33 के भूमि ख.न. 118 रकबा 0.0800 है0, ख.न. 120 रकबा 0.0500 है0, ख. न. 121 रकबा 0.6500 है0, ख.न. 122 रकबा 0.2300 है0, ख.न. 123 रकबा 0.0400 है0, ख.न. 124 रकबा 1.4400 है0, ख.न. 125 रकबा 0.2500 है0, ख.न. 201/330 रकबा 0.9000 है0, ख.न. 244 रकबा 2.5700 है0, ख.न. 245 रकबा 1.9600 है0, ख.न. 246 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 247 रकबा 0.5900 है0, ख.न. 248 रकबा 3.3200 है0, ख.न. 249 रकबा 0.5500 है0, ख.न. 250 रकबा 0.4600 है0, ख.न. 252 रकबा 1.2100 है0, ख.न. 302/329 रकबा 1.1400 है0, ख.न. 359/252 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 16.0400 है0 जमाबंदी संवत 2074-77 में अंकित सुरेन्द्र पुत्र खांगा, जयपाल पुत्र खांगा व पतासी पत्नि खांगा के स्थान पर देवकरण उर्फ सुरेन्द्र पुत्र खांगाराम, जयपाल पुत्र खांगाराम व पतासी पत्नि खांगाराम दुरुस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर